

25/1/19

वादिया एव उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। उन्हे आवाने
 लगा कोई जर्द लेकिन बार बार आवाने लगवाने
 पर भी वादिया की ओर से कोई कदम उपास्थित
 नहीं काया है। प्रकार दिनांक 14/3/18 से प्रथम पत्र
 ओफिस नियम 11 के तहत के लामित चला आता है।
 लेकिन कदम नहीं की गई है। कतः प्रकार वादिया
 की लापरवाही के कारण अदम तकमील एक अदम
 परकी अदम हाजिरी के शारिज दिया जाता है।
 मिसल फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम है। दफ्तर की
 ओडेश काज खुले न्यायालय के सुनाया गया।

(परवतसिंह पूरवका)

परवतसिंह पूरवका एव सहायक फल
मनुष्य (अधिवक्ता) एव.

